



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072022-237500
CG-DL-E-23072022-237500

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3147]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944

No. 3147]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

का.आ. 3308(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के कडुलोर जिले में NH45A के कि.मी. 29 से कि.मी. 67 (नया कलेक्टर कार्यालय भवन कुडुलोर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24.03.2022 " को "डेली थांथी" और "द न्यू इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के कडुलोर जिले में NH45A के कि.मी. 29 से कि.मी. 67 (नया कलेक्टर कार्यालय भवन कुडुलोर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: कडुलोर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कुडुलोरे				
	गांव का नाम: नथापट्टूर				
1	27/1	निजी	शुष्क	0.0183	माइनर गौशाल जयंत गार्डियन मदर विजया डबल्यू/ओ. राजेन्द्रण (२७/१९२)
2	27/4	निजी	शुष्क	0.0042	कुमारन एस्/ओ. राजमणिकम् (२७/४९२)
3	5/3	निजी	शुष्क	0.0635	सी.के.विजयलक्ष्मी डबल्यू/ओ.डॉक्टर रमानी शंकर (थलाईवर डॉक्टर रंगनाथन ट्रस्ट) (५/३९२)
4	5/6A1A	निजी	शुष्क	0.0158	रामकृष्णन एस्/ओ.लक्ष्मण गोंडर (५/१८)
5	5/6B	निजी	शुष्क	0.0064	प्रियदुर्क डबल्यू/ओ.चंडीरसेकर (५/६बी२)
6	5/7	निजी	शुष्क	0.014	सी.के.विजयलक्ष्मी डबल्यू/ओ.डॉक्टर रमानी शंकर (थलाईवर डॉक्टर रंगनाथन ट्रस्ट) (५/७बी)
7	5/8	निजी	शुष्क	0.0502	सी.के.विजयलक्ष्मी डबल्यू/ओ.डॉक्टर रमानी शंकर (थलाईवर डॉक्टर रंगनाथन ट्रस्ट) (५/८९२)
			कुल	0.1724	

[फा. सं. NHAI/11013/LA/3(a)-Notif/PIU-Villupuram/2013/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2022

S. O. 3308(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH45A on the stretch of land from Km. 29 to Km. 67 (New Collector Office Building Cuddalore) in the district of CUDDALORE in the state of TAMIL NADU

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Daily Thanthi*” and “*The New Indian Express*” both dated 24.03.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH45A in the stretch of land from Km. 29 to Km. 67 NH45A (New Collector Office Building Cuddalore) in the district of CUDDALORE in the state of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU			District: CUDDALORE		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Cuddalore				
	Village: Nathapattu				
1	27/1	Private	Dry	0.0183	Minor Gowshal Jayant Guardian Mother Vijaya W/o. Rajendiran 27/1A2
2	27/4	Private	Dry	0.0042	Kumaran S/o.Rajamanikam 27/4A2
3	5/3	Private	Dry	0.0635	C.K.Vijayalakshmi W/o.Doctor Ramani Sankar (Thalaivar Doctor Ranganathan Trust) 5/3A2
4	5/6A1A	Private	Dry	0.0158	Ramakrishnan S/o.Lakshmana Goundar 5/18
5	5/6B	Private	Dry	0.0064	Priyadurka W/o.Chandirasekar 5/6B2
6	5/7	Private	Dry	0.014	C.K.Vijayalakshmi W/o.Doctor Ramani Sankar (Thalaivar Doctor Ranganathan Trust) 5/7B

7	5/8	Private	Dry	0.0502	C.K.Vijayalakshmi W/o.Doctor Ramani Sankar (Thalaivar Doctor Ranganathan Trust) 5/8A2
			TOTAL	0.1724	

[F. No. NHAI/11013/LA/3(a)-Notif/PIU-Villupuram/2013/3D1]

RASJESH GUPTA, Director